झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1073 वर्ष 2017

1. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पे0 स्व0 सरयू प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम–शल्य कर्मा, डाकघर एवं थाना–पिरोटा, जिला–औरंगाबाद (बिहार)

2. मनोज पासवान, पे0 सुरेश पासवान, निवासी–बाँकेबाजार, गया, डाकघर, थाना एवं जिला–गया (बिहार)

3. कृष्ण कांत सिंह, पे0 स्वर्गीय राम नरेश सिंह, निवासी–झाक्तिया हायरिंग, चतरा, डाकघर, थाना और जिला–चतरा

4. महेंद्र यादव, पे0 रघु यादव, गांव पतसुग्या, हंटरगंज, डाकघर, थाना और जिला–चतरा

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, अपने मुख्य सचिव के माध्यम से जो परियोजना भवन, डाकघर और थाना–धुर्वा, रांची से कार्यरत

2. प्रधान सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, परियोजना भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, रांची

3. प्रधान सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, नेपाल हाउस, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–रांची

4. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, झारखंड, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री विकास कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए:– श्रीमती चैताली सी0 सिन्हा, ए0ए0जी0 के जे0सी0

3/16.03.2017 यह दावा करते हुए कि वे राज्य व्यापार में दैनिक मजदूरी श्रमिकों के रूप में कार्यरत थे, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी राज्य को उनके सेवा को नियमितीकरण करने के लिए निर्देश देने की मांग की।

2. सुना।

3. दिनांक 01.03.1997 और 18.07.2001 के पत्र के संदर्भ में, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया है, यह दर्ज करना पर्याप्त होगा कि नियमितीकरण नियम, 2015 के निर्माण के बाद, जो कि 13.02.2015 के संकल्प द्वारा अधिसूचित किए गए थे, ये पत्र महत्वहीन हो गए हैं और अब सेवा में नियमितीकरण के लिए कोई भी आदेश नियमितीकरण नियमों 2015 के अनुरूप होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि उनका नाम विभाग द्वारा तैयार दैनिक मजदूरी श्रमिकों की सूची में शामिल है। इनमें से एक सूची 22.09.2006 के ज्ञापन द्वारा और दूसरी सूची 02.08.2007 के ज्ञापन द्वारा अग्रेषित की गई थी। इन सूचियों से यह भी पता चलेगा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें 1996–97 में ही हटा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि उसके बाद भी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं से काम लेना जारी रखा।

4. याचिकाकर्ताओं ने न तो अपने नियुक्ति का प्रारंभिक आदेश प्रस्तुत किया है, और न ही 1996–97 के बाद अपने कथित अनुबंध के आदेश प्रस्तुत किए है। यह हो सकता

है कि अधिकारियों ने वर्ष 1996–97 के बाद वर्ष 2006 एवं 2007 में तैयार दैनिक वेतन कर्मचारियों की सूची के मद्देनजर याचियों से कुछ काम लिया हो, जो यह प्रकट करता है कि याचियों ने 1996–97 के बाद दैनिक वेतन श्रमिकों के रूप में काम नहीं किया था, सेवा में नियमितीकरण के लिए याचियों के दावे पर विचार करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

5. उपरोक्त तथ्य में, मुझे रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और तदनुसार, इसे खरिज कर दिया जाता है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)